



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012
फैक्स- 011- 25846462
दुर्भाग्य; जित; केवल जितकृत-
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238056 (Office) Tele – Fax :- 01509-
238027
e-mail – directorcsfsrc@gmail.com
दिनांक: –26.06.2015

क्रमांक:— सर/उद्यान/4-1/2015-16—

फुलक लिपक

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज0.) में स्थित आदर्श पौधशाला में वर्ष 2015-16 में ठेके पर तैयार करने का प्रस्ताव है, इसके लिये इच्छुक ठेकेदार अपनी निविदा दिनांक 22.07.2015 को सायं 3:00 बजे तक निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज0.) के नाम भेज सकते हैं। निविदा के साथ धरोहर राशि रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि **National Seeds Corporation Ltd, Sardargarh, payable at Suratgarh** के नाम देय हो संलग्न कर भेजना होगा। बैंक ड्राफ्ट के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं होगी। सफल निविदादाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर लौटाई जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल निविदादाता की धरोहर राशि नियमानुसार चैक द्वारा वापस कर दी जायेगी।

द0- ल0-	क/क दक उके	दक; दक फूज.क	क/क दह लि; क
1.	लिसोडा	थेली भरना, निराई, गुड़ाई, जगह बदलना, स्प्रे, खाद, पानी इत्यादि सभी कार्य, पौधा तैयार होने तक।	5000.00
2.	अमरुद	छाव लेयरिंग बेज ग्राफिटिंग से पौधे तैयार होने तक	15000.00
3.	आंवला	थेली भरना, निराई, गुड़ाई, जगह बदलना, स्प्रे, खाद, पानी इत्यादि सभी कार्य, वडिंग करना डिसवडिंग करके पौधे तैयार करना।	10000.00
4.	करौंदा	थेली भरना, निराई, गुड़ाई, जगह बदलना, स्प्रे, खाद, पानी इत्यादि सभी कार्य, पौधा तैयार होने तक।	40000.00
5.	वेल	थेली भरना, निराई, गुड़ाई, जगह बदलना, स्प्रे, खाद, पानी इत्यादि सभी कार्य, पौधा तैयार होने तक।	10000.00
	दय		80000-00

उपरोक्त कार्य की दरे भरने के लिए निविदा फार्म अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय से रुपये 200/- जमा करवाकर दिनांक 22.07.2015 शाम 1.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। एवं किसी भी कार्य दिवस में नियम / शर्तों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com देखी जा सकती है। निविदा के साथ आवास पते के रूप में पहचान पत्र, पेन कार्ड की छांया प्रति जमा करवानी होगी। उक्त दिनांक को ठेका नहीं होता है तो पुनः दिनांक 29.07.2015 को निर्धारित समय पर होगा।

उद्यान अधिकारी
कृते निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-

मिनिरत्न कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर

नई दिल्ली -110 012

फैक्स- 011- 25846462

दूरभाष: 011- 25846462

फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)

(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

e-mail – nsc@indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH

PHONES: (01509-238027, 238056 (Office) Tele – Fax :- 01509-238027

e-mail – directorcsfsrc@gmail.com

क्रमांक: – सर./उद्यान/4-1/2015-16-

दिनांक: –

o"K 2015&16 e Qynkj ik/k r;kj dju gr fu;e o 'kr

1. प्रत्येक निविदादाता/बोलीदाता को निविदाएँ/बोली देने से पूर्व रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) धरोहर राशि के रूप में पूर्ण हस्ताक्षर सहित फार्म खजाची के पास बैंक ड्राफ्ट जो कि **National Seeds Corporation Ltd, Sardargarh, payable at Suratgarh** के नाम देय हो जमा करवानी होगी।
2. असफल बोलीदाता की धरोहर राशि नियमानुसार लौटा दी जायेगी तथा सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा कर ली जायेगी। जो कि संतोषजनक कार्य के पूरा होने पर लौटा दी जायेगी। फार्म इस धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं देगा।
3. सफल बोलीदाता/निविदादाता को पौधा तैयार करने हेतु निम्न कार्य कराने होंगे: –
 - अ) अमरुद के पौधे तैयार करने के लिय दावलेयरिंग/वैज ग्राफिट अगस्त, सितम्बर तथा फरवरी मार्च में करनी होगी। निराई गुड़ाई इत्यादि सभी का कार्य करना होगा।
 - ब) ऑवले के 50% पौधे जमीन में तथा 50% थैलियों में तैयार करने होंगे। रूट स्टोक तैयार करने का कार्य स्वयं तथा समय से करना होगा।
4. ठेकेदार को बडस्टिक कटिंग रोग मुक्त पौधों से स्वयं बाग के सुपरवाइजर की निगरानी में काटने होंगे।
5. फार्म कलम करने व अन्य कृषि कार्यों हेतु कोई भी औजार प्रदान नहीं करेगा सभी औजार ठेकेदार को स्वयं लाने होंगे।
6. ठेकेदार को मूलवृन्त में बडिंग/ग्राफिटिंग करने के बाद 25 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। शेष 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान पौधों में कम से कम 9" के फुटाव आने पर गिनती करके कर दिया जायेगा। गिनती केवल जीवित कलमी पौधों की ही की जायेगी। बिल का भुगतान चेक द्वारा किया जायेगा।
7. ठेकेदार को बडिंग/ग्राफिटिंग किये गये रूट-स्टाक का 60 प्रतिशत कम से कम पौधा तैयार करके देना होगा। यदि इससे कम पौधे बनते हैं तो इसकी भरपाई ठेकेदार के बिल से या धरोहर राशि से एक रुपया प्रति पौधा मूलवृन्त के आधार पर की जायेगी।
8. करौदा, लिसौडा, वेल इत्यादि बीज/कटिंग से पौधे तैयार करने के पोलोथीन बैग भारना, बीज/कटिंग लगाना सिचाई निराई गुड़ाई करना पौधा 9 इंच से 1 फुट का तैयार करके देना होगा।
9. अमरुद के देशी पौधों को पोलोथीन बैग में लगाना व लगाये गये पौधे को पेंसिल के आकार में होने पर वेज ग्राफिट करना 6-9 इंच की उचाई करके पौधे तैयार करना मूलवृन्त से उपर का शायन भाग कम से कम एक फीट होना चाहिए तैयार अमरुद के पौधे निकाल कर ग्रीन हाउस में सिफ्ट करने के 25 दिन के बाद गिनती की जायेगी।
10. यदि प्राकृतिक प्रकोप से कोई नुकसान होता है तो इसके लिये विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

11. कार्य आदेश मिलने के बाद ठेकेदार को फार्म के साथ 100 रुपये के बाण्ड पेपर पर एग्रीमेन्ट करना होगा।
बाण्ड पेपर की कीमत ठेकेदार स्वयं वहन करेगा।
12. ठेकेदार फार्म की सम्पत्ति में कोई नुकसान नहीं पहुंचायेगा अगर ऐसा होता है तो नुकसान की भरपाई ठेकेदार से कर ली जायेगी।
13. निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ को पूर्ण अधिकार होगा कि वह निविदा बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत बिना कारण बताये कर दे।
14. ठेकेदार यदि कार्य अपूर्ण छोड़कर जाता है तो यह कार्य किसी अन्य से करवा लिया जावेगा। इस कार्य को करवाने में अगर फार्म को कोई हानी होती है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार से कर ली जायेगी। साथ ही धरोहर राशि जब्त व किये गये कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
15. ठेकेदार पौधे तैयार करते समय क्यारियों को वर्ष में कम से कम 8 बार निराई-गुड़ाई करायेगा।
16. पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी।
17. किसी भी प्रकार का टेक्स ठेकेदार को वहन करना होगा।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को राष्ट्रीय बीज निगम निगम लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक या उनके प्रतिनिधि का फेसला मान्य होगा।
19. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार सूरतगढ़ होगा।
20. उपरोक्त शर्तों को सुन-समझकर व पढ़कर बताया गया जो मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

उद्यान अधिकारी
कृते निदेशक

